वादी

बनाम

1. मंगलसिंह } पि. मेहरसिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा
2. मोदनसिंह } जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 02/04/26

वादी की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री अनिल सिहाग व राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वाद वादी साबित होने से आदेश किया जाकर डिक्री किया जाकर निम्नानुसार घोषणा किया जाता है:–

(अ) तहसील पीलीबंगा के चक 5 बी एल डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 27/27 का प.न. 32/237 मु.न. 2 कि.न. 16 ता 25, की 2.530 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से वादी स्वंय के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा में वर्णित वादी का नाम महेन्द्रसिंह के स्थान पर मन्दरसिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कीये जाने की घोषणा की जाती है शेष खाता यथावत रहेगा।

(ब). कि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 2 बी एल डब्ल्यू बी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से चालू का खाता सं. 36/30 का प.न. 31/237 मु.न. 37 कि.न. 1 ता 15 की कुल 3.795 है. नहरी मय अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से वादी स्वंय के नाम व हिस्सा की दर्ज 1/5 हिस्सा में वादी का नाम महेन्द्रसिंह के स्थान पर मन्दरसिंह की घोषणा की जाती है इसी चक में वादी के स्वः भाई दर्शनसिंह के लाऔलाद व लावारिस फौत होने से स्वः दर्शनसिंह का 1/5 हिस्सा में से वादी के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा में वादी का नाम मंदरसिंह के स्थान पर मन्दरसिंह व वादी की बहनों ज्ञानकौर व जसमेलकौर के द्वारा अपना 2/5 हिस्सा ब. हि. बराबर का हक त्याग करने से 0.632 है. में से वादी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा जो जरिये इन्तकाल न. 306/2018 के दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई है में वादी का नाम मंदरसिंह

के स्थान पर मन्दरसिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की घोषणा की जाती है। शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 02/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड़ अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा